# कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय मैंनपुरी।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है।माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 04.03.2023 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जनपद न्यायालय मैंनपुरी के परिसर पर स्थित शेष निम्नलिखित दुकानों के ठेका हेतु नीलामी प्रक्रिया माननीय जनपद महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति मीता सिंह अध्यक्ष समिति विशेष न्यायाधीश ई.सी.एक्ट, श्री भूलेराम सदस्य समिति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री रवि कुमार सागर सिविल जज (प्रवर वर्ग)/ एफ.टी.सी. की उपस्थिति व निर्देशन में दिनांक 07.04.2023 को अपरान्ह 02.00 बजे से जनपद न्यायालय मैंनपुरी के मीटिंग कक्ष में सम्पन्न की जायेगी।

इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि, समय एवं स्थान पर नीलामी में भाग लेने हेतु अपने पहचान पत्र/ आधार कार्ड, वोटर आई.डी. के साथ उपस्थित हों।

**नीलाम होने वाली दुकानों का विवरण**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ठेका फोटोग्राफी | 01 |
| 2 | ठेका फोटोस्टेट | 01 |
| 3 | ठेका फल,चार्ट, शिकंजी, बेलजूस | 01 |
| 4 | ठेका पान | 01 |
| 5 | ठेका उबला चना, आलू, मूँगफली, भुटटा, | 01 |
| 6 | ठेका मंजन, चूर्ण,तेल | |

**नीलामी की शर्तें निम्नलिखित है-**

1. यह ठेका दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक के लिए वैध होगा।

2. जिस ठेकेदार के यहॉ ठेके से सम्बन्धित कोई भी धनराशि किसी भी समय का बकाया है, उसको या उसके परिवार के सदस्यों को या प्रतिनिधि को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार व व्यक्ति ठेका प्राप्त भी कर लेता है तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त दुकान की पुनः बोली करा दी जायेगी।

3. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली की 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में जमा करना होगा। बोलीकर्ता को जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त ही बोली बोलने का अधिकार होगा।

4. जिसके पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत की जायेगी, उसे ठेके की 40 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 20-20 प्रतिशत की तीन त्रैमासिक किश्तों (प्रथम किश्त जून 2023, द्वितीय किश्त सितम्बर 2023, तृतीय किश्त दिसम्बर 2023 तक) जमा करनी होगी। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और पुनः नीलामी करा दी जायेगी तथा बकाया धनराशि भू-राजस्व के रूप में वसूल की जायेगी।

5 जिस ठेकेदार के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति अपनी दुकान स्वंय चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करेगा। उपर्युक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार होने पर दुकान का ठेका निरस्त करके जमा धनराशि, जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी।

6. ठेके की बोली स्वीकृति या अस्वीकृति करने का पूरा अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा। माननीय जनपद न्यायाधीश को अधिकतम बोलीदाता का ठेका भी बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

7. जिस व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के प्रपत्र संख्या-31/एस दिनांकित 16.03.1998 में दी गयी शर्तों के अनुसार बोली के पश्चात रूपये 100/- का स्टाम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।

8. ठेकेदार को न्यायालय परिसर में स्थित अपनी दुकान के पास साफ-सफाई स्वंय करनी होगी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रपत्र संख्या-139 दिनांकित 18.03.1979 के अनुसार प्रत्येक सामानों की दर सूची प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा सत्यापित कराकर ऐसे स्थान पर लगायी जायेगी जहाँ से प्रत्येक ग्राहक आसानी से देख सके।

9. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वंय अथवा किसी व्यक्ति को अधिकृत करके खाद्य पदार्थों की दुकानों का हर प्रकार से निरीक्षण करा सकेगे।

10. न्यायालय परिसर में जो स्थान दुकान करने हेतु दिया जायेगा, उसी स्थान में दुकान करना होगा।

11. न्यायालय परिसर में पान के ठेकेदार, तम्बाकू, सिगरेट बीडी तथा तम्बाकू से निर्मित सामग्री नहीं बेचेंगें। इस सम्बन्ध में उन्हें एक अण्डर टेकिंग देनी होगी।

12.. न्यायालय परिसर में ठेकेदार जो खाद्य सामग्री बिक्रीय करेगे वह खाद्य अपमिश्रण एक्ट के मानको के अनुरूप होगी तथा कोई भी ठेकेदार अपमिश्रत खाद्य सामग्री का बिक्रय नहीं करेगा।

13. किसी भी दुकानदार द्वारा ठेके पर दुकान प्राप्त करने के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी कार्य हेतु दुकान का प्रयोग या उपयोग नहीं किया जायेगा और न ही किसी अवैध कार्य प्रयोग तथा क्रियाकलाप में सन्लिप्त रहेगा।

14. उपरोक्त शर्तों में किसी भी शर्त का उलंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का यह अधिकार होगा कि वह किसी व्यक्ति की दुकान का ठेका निरस्त कर दें या पुनः नीलामी करा दें और शासकीय नुकसान की वसूली उसके द्वारा या उसकी सम्पत्ति से करा दें।

दिनांक 04.04-2023

| | | |
|---|---|---|
| (रवि कुमार सागर) | (भूलेराम) | (मीता सिंह) |
| सदस्य समिति/ | सदस्य समिति / | अध्यक्ष नीलामी समिति/ |
| सिविल जज (प्रवर वर्ग)/ | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / | विशेष न्यायाधीश |
| एफ.टी.सी. मैंनपुरी। | मैंनपुरी। | (ई.सी.एक्ट)मैंनपुरी। |

**प्रतिलिपि निम्न लिखित को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित-**

1. नाजिर कलक्ट्रेट, मैंनपुरी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. कार्यालय अधीक्षक, नगर पालिका परिषद मैंनपुरी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. कार्यालय अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक मैंनपुरी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

4. कार्यालय अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी मैंनपुरी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु।
6. जिला सूचना अधिकारी मैंनपुरी को सभी समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।
7. जनपद न्यायालय मैंनपुरी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. जनपद न्यायालय मैंनपुरी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु नोडिल अधिकारी कम्प्यूटर।
9. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ओ.एस.डी कम्प्यूटर, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को।

दिनांक 04-04-2023

(रवि कुमार सागर)
सदस्य समिति
सिविल जज (प्रवर वर्ग)/
एफ.टी.सी. मैंनपुरी।

(भूलेराम)
सदस्य समिति
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मैंनपुरी।

(मीता सिंह)
अध्यक्ष नीलामी समिति
विशेष न्यायाधीश
(ई.सी.एक्ट)मैंनपुरी।